



2026:AHC-LKO:20193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1498/2026

उजैर@उजैर खान

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), सरकार, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: शाहिद सलाम, अब्दुल मलिक साजिद, मोहम्मद इरफान खान, प्रतीक विक्रम सिंह, पुनीत चंद्रा, राकेश गिरी, शाहिद सलाम, स्वधा कुमारी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता: शा० अ०, कृष्ण गोपाल, संदीप कुमार ओझा, श्रीकांत त्रिपाठी, तौकीर अहमद

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, शिकायकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. अभियोजन पक्ष के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि एक साजिश के तहत, अभियुक्त प्रार्थी ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर भोले-भाले लोगों को ऋण आदि के माध्यम से पैसे देने का झांसा दिया; और उनके बैंक खातों का उपयोग करके, उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से संबंधित पैसे प्राप्त किए, तथा इस प्रकार प्राप्त राशि को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने नकद निकासी के माध्यम से निकाल लिया और आपस में बांट लिया।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी 7.1.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

यह निवेदन किया है कि प्रार्थी को उसके खाते में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी को ए.टी.एम. के माध्यम से नकद निकासी करते हुए नहीं देखा गया है। यह निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए मोबाइल नंबर और बैंक खाते, दोनों ही प्रार्थी से संबंधित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि जमानत पर रिहा होने के बाद प्रार्थी के भाग जाने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अ०शा०अ० और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, हालाँकि, वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि प्रार्थी के खाते में किसी भी अवैध लेन-देन के ज़रिए कोई भी रकम नहीं आई है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—यह तथ्य कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को देखते हुए, और प्रार्थी जितने समय से जेल में है—तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

6. प्रार्थी उजैर उर्फ उजैर खान, जो मुकदमा अपराध संख्या 207/2025 में धारा 318(4), 319(2), 351(4), 317(4), 308(6), 336(3), 337, 340(2), 338, 61(2)(क) भा०न्या०सं०, 66घ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत (थाना साइबर अपराध, जिला लखनऊ) अभियुक्त है, को व्यक्तिगत



मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर (जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों) ज़मानत पर रिहा किया जाए; यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें न्याय के हित में अधिरोपित किया जा रहा है:-

- I. प्रार्थी परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - II. प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - III. प्रार्थी को इस आशय का एक वचन पत्र देना होगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा और वह परीक्षण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि अनुरूप आदेश पारित कर सकता है।
- कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे परीक्षण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

7. तदनुसार, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका परीक्षण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

19 मार्च, 2026

के.के.बी./